

नगर निगम, पाली

(राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा के अन्तर्गत)

अनापत्ति प्रमाण पत्र

आवेदन नं.: LSG/PALI/FIRENOC/2025-26/63697
जारी दिनांक: 13-MAY-2026 वैधता दिनांक: 12-MAY-2028

प्रेषित-

आवेदक का नाम श्री/श्रीमती: FR ANTONY DAVIDSON
आवेदक का पता: ST PAULS SCHOOL VALLABH NAGAR GUMANPUR KOTA

विषय:- अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने बाबत

आपके भवन ST PAULS SEC SCHOOL, 374 375 376 377 378, SHREESELA BALI, P O FALNA, PALI, PALI, RAJASTHAN का निरीक्षण किया गया निरीक्षण के दौरान अग्नि सुरक्षा उपकरण सही पाए गए अतः उपरोक्त सुरक्षा व्यवस्था के अनुसार निम्न शर्तों पर पाबंद करते हुए यह स्थाई (Permanent) अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया जाता है।

शर्त:-

1. अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने की तिथि से एक वर्ष की अवधि के लिए मान्य होगी।
2. एक वर्ष के पश्चात अनापत्ति प्रमाण पत्र का नवीनीकरण करवाया जाना आवश्यक होगा अन्यथा अनापत्ति प्रमाण पत्र स्वतः ही निरस्त माना जावेगा।
3. बिल्डिंग के समस्त स्टाफ व सिविलीटी गार्ड को वर्ष में एक बार अग्निशमन विभाग द्वारा प्रशिक्षण दिलाना आवश्यक होगा।
4. बिल्डिंग में लगे अग्निशमन यंत्रों को हमेशा चालू हालत में रखना होगा।
5. अग्निशमन यंत्रों को समयावधि में रिफिलिंग करवाने होंगे।
6. फायर सिस्टम को चलाने हेतु 24 घंटे फायर प्रशिक्षण कर्मचारी रखने होंगे।
7. बिल्डिंग का अग्निशमन अधिकारी द्वारा कभी भी निरीक्षण किया जा सकेगा व फायर सिस्टम कार्यरत (चालू हालत) नहीं पाए जाने की स्थिति में यह अभिशंषा पत्र निरस्त माना जावेगा।
8. यदि राज्य सरकार / परिषद् द्वारा भविष्य में कोई नियम/ उपनियम जारी किया जाता है तो प्रबंधक को मान्य होगा।
9. यह अनापत्ति प्रमाण पत्र अग्नि सुरक्षा की द्रष्टी में मान्य होगा।
10. बिल्डिंग में पानी का टैंक ऊपर व निचे बनाना होगा जिसका कनेक्शन उच्च वोल्ट पावर मोटर के साथ पर्याप्त पाइप लगाना होगा।
11. बिल्डिंग में साईन (सिग्नल) बोर्ड लगाने होंगे।
12. बिल्डिंग में आने व जाने के लिए रास्ता खुला रखना होगा।
13. बिल्डिंग में वाहनों को रखने के लिए पार्किंग व्यवस्था रखनी होगी।
14. बिल्डिंग में व्यवस्थापक को आपातकालीन स्थिति में बिजली (जनरेटर) की व्यवस्था रखनी होगी।
15. बिल्डिंग में आपात सेवाओं के दूरभाष नंबर व धूम्रपान निषेध का साईन बोर्ड लगाना होगा।
16. व्यवस्थापक द्वारा बिल्डिंग के प्रस्तुत दस्तावेज एवं बिल्डिंग के मानचित्र अनुसार अलावा और निर्माण कार्य करने से पूर्व राज्य सरकार / परिषद् द्वारा/ अग्निशमन अधिकारी से अनुमति लेनी होगी।
17. बिल्डिंग के अंदर किसी प्रकार का विस्फोटक पदार्थ व अतिज्वलनशील पदार्थ नहीं रखा जावे।
18. रोप लैंडर व दो रस्सा बिल्डिंग के सभी टावर में टावर की ऊंचाई जितना हर समय बिल्डिंग में रखना होगा।
19. भूमि व बिल्डिंग सम्बन्धी किसी भी प्रकार के विवाद हे